न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री गंगाधर मीणा आर०ए०एस

दावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
18ए / 23	25.01.2023	29.04.2023

उनवान

1. लालचंद पुत्र श्री रतीराम जाति चमार निवासी हुसैनपुर वार्ड–2, खैरथल तहसील खैरथल जिला अलवर राज0।
2. अमर सिंह पुत्र श्री खेमचंद जाति चमार निवासी हुसैनपुर वार्ड–2, खैरथल तहसील खैरथल जिला अलवर राज0।
3. मनोहरलाल पुत्र श्री खेमचंद जाति चमार निवासी हुसैनपुर वार्ड–2, खैरथल तहसील खैरथल जिला अलवर राज0।
4. कैलाश पुत्र श्री छोटेलाल जाति चमार निवासी नंगला डूंगर तहसील खैरथल
5. श्यामलाल पुत्र श्री चन्दगीराम जाति मेघवाल निवासी मुरली कॉलोनी तहसील खैरथल।

:—वादीगण

बनाम

1. मीरा बाई पत्नी श्री राजकुमार पुत्री श्री खेमचंद जाति चमार निवासी बसई बीरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राज0।
2. ओमवति पत्नी श्री हुकमचंद पुत्री श्री खेमचंद जाति चमार निवासी पाटन मेवान तहसील खैरथल जिला अलवर राज0।
3. राजस्थान स्टेट जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब (भूमिधारी) पैरोकार सरकार तहसील खैरथल जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक अंतर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति:— वादी की ओर से श्रीमान राजेश कुमार शर्मा वकील
प्रतिवादी की ओर से श्रीमान पुष्प कुमार वकील

29/4/23

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व ग्राम हुसैनपुर तहसील खैरथल में स्थिल हाल खसरा नंबर 2024 रकबा 0.32हे0, 2025 रकबा 0.29हे0, 2026 रकबा 0.28हे0, 2027 रकबा 0.27हे0, 2028 रकबा 0.16हे0, 2029 रकबा 0.30हे0, 2030 रकबा 0.27हे0, 2031 रकबा 0.18हे0, 2032 रकबा 0.23हे0, 2033 रकबा 0.22हे0, 2034 रकबा 1.05हे0, 2036 रकबा 0.19हे0, 2037 रकबा 1.57हे0, 2038 रकबा 0.34हे0 किता 14 रकबा 5.6700हे0 दर्ज खाता संख्या 375 जमाबंदी सम्वत् 2075–78 में दर्ज आराजीयात वाद– वादीगण में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबंदी संवत् 2075–78 व नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न वाद–पत्र है।

मुतनाजा आराजीयात साबिक खसरा नंबरान 1396 रकबा 4–11 बीघा, 1400 रकबा 1–03 बीघा, 1401 रकबा 2–04 बीघा 1402 रकबा 5–09 बीघा, 1403 रकबा 1–18 बीघा 1404 रकबा 1–17 बीघा, 1405 रकबा 1–13 बीघा, 1406 रकबा 0–15 बिस्वा 1411 रकबा 41–17 बीघा से वाके खैरथल से कायम किये गए हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल तुलनात्मक संलग्न है।

साबिक खसरा नंबर 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1396 बंजर कदीम कस्टोडियन भूमि थी। जिस पर आंदोलन से पूर्व भिन्न–भिन्न मुसलमान व्यक्ति काश्त करते थे। जो वक्त आंदोलन भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं। जिसके पश्चात विवादित आराजीयात को लोकल काश्तकार काश्त करने लग गए। जिनके नाम का अंकन पुरानी खसरा गिरदावरी संवत् 2010 लगायत 2018 में अंकित है। वास्ते मुलाहिजा खसरा गिरदावरी संलग्न है।

विवादित आराजीयात कस्टोडियन बंजर भूमि को बंदोबस्त से पूर्व लोकल काश्तकारान बक्शी, रामसहाय, जयराम पिता गोपाल, चितरू, घीसा पिता बेगराज, मांग्या पुत्र भोलू, गुटारी, दिलसुख पिता देवीया, रतीराम, खेमचंद पिता डालू, चुम्मन पुत्र मोती, नंदराम पुत्र गुट्टी, जुमला 14 हिस्सेदारों (हरीजनान) निवासी हुसैनपुर को आवंटन कर पट्टेदारान को मुताबिक काश्त सरकार से दे दी। जो विवादित आराजी को काश्त करते थे। जिनके नाम का अंकन जमाबंदी संवत् 2047–50 व 2051–2054 तथा 2055–2058 तथा 2059–2062 तथा 2063–2066 से ताहाल में दर्ज हो रहा है। जमाबंदी संलग्न है। लोकल पट्टेदारान के फौत होने पर विवादित आराजीयात को पट्टेदारान के विधिक वारीसान ने अपनी पारिवारिक जरूरतों हेतु सभी 13 आसामियों ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 20.01.1992 को खसरा नंबर 2024 रकबा 0.32हे0, 2025 रकबा 0.29हे0, 2026 रकबा 0.28हे0, 2027 रकबा 0.27हे0, 2028 रकबा 0.16हे0, 2029 रकबा 0.30हे0, 2030 रकबा 0.27हे0, 2031 रकबा 0.18हे0, 2032 रकबा 0.23हे0, 2033 रकबा 0.22हे0 किता 10 रकबा 2.5200हे0 अर्थात् 9 बीघा 19 बिस्वा गैर खातेदारी रकबा को मुबलिग 22000/– रूपये शब्देन बाईस हजार रूपये में श्री लालचंद पुत्र रतीराम चमार 1/2 हि0, अमरसिंह पुत्र

29/4/23

मचंद चमार 1/4 हि0 तथा मनोहर लाल पुत्र खेमचन्द चमार 1/4 हि0 में बेचान करते ब्जा आराजीयात पर सौंप दिया था, तभी से क्रेतागण लालचंद, अमरसिंह, मनोहरलाल ाबिज आराजी चले आ रहे हैं। आज भी इसी कदर मौके पर काश्त कर रहे हैं बाद बेचान ट्टेदारान का कोई कब्जा काश्त आराजी मुतनाजा पर नही रहा।

समस्त पट्टेदारी की आराजीयात कुल किता 14 कुल रकबा 5.6700हे0 वाके ुसैनपुर में वादी लालचंद का पिता रतीराम व वादीगण अमरसिंह, मनोहरलाल का पिता ब्रेमचंद पुत्र डालू पट्टेदारान थे। जिन्होंने दीगर पट्टेदारान से अपने कब्जा काश्त के म्बरान किता 10 रकबा 2.2500हे0 को कीमत अदा कर खरीद कर लिया था एवं काबिज ैं। तथा शेष नम्बरान 2034 रकबा 1.05हे0, 2036 रकबा 0.19हे0, 2037 रकबा 1.57हे0, 2038 रकबा 0.34हे0 किता 4 रकबा 3.1500हे0 अर्थात् 12 बीघा 9 बिस्वा वाके हुसैनपुर को अपनी पारिवारिक जरूरतों हेतु दिनांक 11.01.2011 तक मुबलिग 5,00,000/– रूपये शब्देन पाँच लाख रूपये में अपने गैर खातेदारी अधिकारों का बेचान वादी संख्या 4 कैलाशचंद पुत्र छोटेलाल जाति चमार निवासी नांगल मोजिया तहसील खैरथल को 1/4 भाग एवं श्यामलाल पुत्र चंदगीराम जाति मेघवाल निवासी मुरली कॉलोनी खैरथल को 3/4 हिस्सा अनुपात में करते हुए बाकब्जा बेचान किया हुआ है। जो दिनांक 11.01.2011 से खसरा नंबरान 2034, 2036, 2037, 2038 पर काबिज चले आ रहे हैं। जिन नंबरान से दीगर पट्टेदारान या रतीराम पुत्र डालू के वारीसान का कोई संबंध सरोकार नहीं रहा है। अलबत्ता तरतीबी प्रतिवादिया संख्या 01 व 02 जो कि खेमचंद की जायन्दा पुत्रियान हैं, विधिक वारिसान हैं। जिन्हें तकमील वाद हेतु फरीक मुकदमा बनाया जा रहा है।

विवादित आराजीयात गैरखातेदारी पट्टेदारी की भूमि है। जिस पर वादी संख्या 1,2व 3 पट्टेदारान के ही कानूनी वारिसान है एवं वादी संख्या 1,2 व 3 ने दीगर पट्टेदारान से उनका हक हिस्सा बेबाक रकम अदा कर क्रय किया हुआ है इसी कदर वादीगण संख्या 4 व 5 भी आराजी गैरखातेदारी के बोना फाईड खरीदारान है, वो काबिज है। अतः वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.3.2012 के अवैद्य हस्तान्तरण प्रकरण के आधार पर आराजी पर अपना कब्जा सिद्ध कराकर सनद् खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरारहक पेश करना लाजिम आया है।

मुतनाजा आराजी पर गैरखातेदारी का अंकन कायम रहने से वादीगण का कृषि विकास रूका हुआ है। बाद खरीद वादीगण संख्या 1,2 व 3 आराजीयात मुतनाजा के पट्टेदारान के ही कानूनी वारिसान है एवं वादीगण संख्या 4,5 भी आराजी के बोनाफाईड पर्चेजर है तथा वादीगण ने आराजी पर समस्त कृषि सुधार कर काबिल काश्त बनाया हुआ है तथा काबिज आराजी है। इसलिए वादीगण आराजी मुतनाजा पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.3.2012 के अवैद्य

29/4/23

Scanned with OKEN Scanner

ान्तरण प्रकरण के आधार पर आराजी पर अपना कब्जा सिद्ध कराकर सनद् खातेदारी ‍करने के अधिकारी है।

डिक्री इश्तकरारहक पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादीगण मुतनाजा राजी हाल खसरा नंबर 2024 रकबा 0.32हे0, 2025 रकबा 0.29हे0, 2026 रकबा 0.28हे0, 27 रकबा 0.27हे0, 2028 रकबा 0.16हे0, 2029 रकबा 0.30हे0, 2030 रकबा 0.27हे0, 31 रकबा 0.18हे0, 2032 रकबा 0.23हे0, 2033 रकबा 0.22हे0 किता 10 रकबा 2.5200हे0 र्थात् 9 बीघा 19 बिस्वा स्थित ग्राम हुसैनपुर खैरथल मे वादी संख्या 1 लालचन्द पुत्र ीराम जाति चमार का 1/2 भाग व वादी संख्या 2,3 अमरसिंह, मनोहरलाल पुत्रान मचन्द जाति चमार का 1/4,1/4 भाग अर्थात निस्फ भाग के काबिज काश्तकारान रीदारान है। तथा इसी कदर खसरा नं0 2034 रकबा 1.05हे0, 2036 रकबा 0.19हे0, 2037 क़बा 1.57हे0, 2038 रकबा 0.34हे0 किता 4 रकबा 3.1500हे0 अर्थात् 12 बीघा 9 बिस्वा मे 1/4 भाग का वादी संख्या 4 कैलाशचन्द पुत्र छोटेलाल जाति चमार तथा 3/4 भाग ादी संख्या 5 श्यामलाल पुत्र चन्दगीराम जाति मेघवाल काबिज काश्तकार खरीदारान है। ो आराजीयात वाके ग्राम हुसैनपुर तह0 खैरथल में स्थित है और इसी कदर वादीगण ौका पर काबिज काश्त कर रहे है। अतः वादीगण राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.09. 009 के यथासंशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 के नियम 5(क) तहत अवैद्य स्तांतरण प्रकरण के आधार पर आराजी मुतनाजा उपरोक्त पर अपना–अपना कब्जा सिद्ध कराकर कीमत आराजी जमाकोष कराकर सनद् खातेदारी प्राप्त करने तथा इस प्रकार की ोषणा वादीगण कराने के अधिकारी है।

जमाबन्दी संवत् 2047 से ताहाल में जो गैरखातेदारी पट्टेदारान के नाम का अंकन तौर गैरखातेदार अंकित हैं जिसे हजफ कराया जाकर वादीगण के नाम का अंकन ुताबिक पैरा संख्या 13 का उप पैरा "अ" के अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने स्वयं मय वकील उपस्थित होकर इकबाल जवाब दावा पेश किया जिसके अन्तर्गत यह स्वीकार किया गया की लोकल पट्टेदारापन व उनके वारिसान ने अपना हिस्सा की राशि प्राप्त कर कब्जा तर्क कर दिया था तथा वादीगण से हिस्सानुसार कीमत लेकर पट्टा जारी कर दिया जावे एवं खातेदारी अधिकार दिये जाने पर मिन जवाबदारान सहमत है। तत्पश्चात् तहसीलदार खैरथल से मौका रिपोर्ट तलब की गई । रिपोर्ट अनुसार आराजी हाल ख0न0 नंबर 2024 रकबा 0.32हे0, 2025 रकबा 0.29हे0, 2026 रकबा 0.28हे0, 2027 रकबा 0.27हे0, 2028 रकबा 0.16हे0, 2029 रकबा 0.30हे0, 2030 रकबा 0.27हे0, 2031 रकबा 0.18हे0, 2032 रकबा 0.23हे0, 2033 रकबा 0.22हे0 किता 10 रकबा 2.5200हे0 अर्थात् 9 बीघा 19 बिस्वा स्थित ग्राम हुसैनपुर खैरथल मे वादी संख्या 1 लालचन्द पुत्र रतीराम जाति चमार का 1/2 भाग व अमरसिंह, मनोहरलाल पुत्रान खेमचन्द जाति चमार का 1/4,1/4 भाग तथा खसरा नं0 2034 रकबा 1.05हे0, 2036

29/4/23

...बा 0.19हे0, 2037 रकबा 1.57हे0, 2038 रकबा 0.34हे0 किता 4 रकबा 3.1500हे0 अर्थात् ...बीघा 9 बिस्वा मे से 1/4 भाग का वादी संख्या 4 कैलाशचन्द पुत्र छोटेलाल जाति ...घवाल तथा 3/4 भाग वादी संख्या 5 श्यामलाल पुत्र चन्दगीराम जाति मेघवाल की कब्जा ...श्त बताई है तथा विवादित आराजी प्रतिबंधित श्रेणी मे नही है। यह इकबाल दावा ...तिवादी संख्या 1 व 2 के इकबाल जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 3 की तरफ से रिपोर्ट मे ...चित ठहराये जाने के कारण तकीयात की आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली साक्ष्य में ...नेयत की गई।

वादीया ने साक्ष्य मे स्वयं का शपथ पत्र पीडब्लू –1, अमरसिंह पुत्र खेमचन्द तथा पीडब्लू-2, मनोहरलाल पुत्र खेमचन्द पेश किये गयें।

दस्तावेजी साक्ष्य मे वादिया ने प्रदर्श–1ए फोटोकॉपी एवं असल प्रदर्श–1 इकरारनामा प्रदर्श–2 किता–3 जमाबंदी प्रदर्श–3 लगायत 17 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–18 खसरा गिरदावारी प्रदर्श–19 लगायत 27 पेश किये। खसरा टीप प्रदर्श–28 लगायत 29 जमाबंदी 30 लगायत 37 पेश किए। मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–38 जिसकी फोटोकॉपी 38ए, आधार कार्ड अमरसिंह प्र0 39 जिसकी फोटोकॉपी 39ए है। आधार कार्ड– मनोहरलाल प्रदर्श–40 जिसकी फोटोकॉपी–40ए है। आधार कार्ड लालचंद प्रदर्श–41 जिसकी फोटोकॉपी प्रदर्श–41ए प्रदर्श–42 पटवारी की मौका रिपोर्ट पेश किये है।

मौका रिपोर्ट व साक्ष्य पेश होने पर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का अवलोकन किया। वाद मे विवादित आराजी पर वादिया को खातेदारी हकूक प्रदान करने हेतू प्रकरण समक्ष रखा गया। चूंकि विवादित आराजी पर वादिया की कब्जा काश्त है। तथा विवादित आराजी प्रतिबंधित श्रेणी की नही होने के कारण पत्रावली खातेदारी दिये जाने योग्य है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । वकील वादीया ने वाद में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए दावा वादिया डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादी वकील ने सहमति दर्ज की दावा वादिया डिक्री किया जावे।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। जमाबंदी संवत 2075–78 के अनुसार आराजी ख0न0 हाल 2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2036,2037,2038 कुल किता 14 रकबा 5.6700हे0 मे किशनलाल, किशोरीलाल,बनवारीलाल, महेन्द्रकुमार, रमेशचन्द, हरीराम पुत्रान घीसा, खेमचन्द,रतीराम पुत्रान डालू, चमेलीदेवी, राजवती पुत्रीयान घीसा, सोमोतीदेवी पत्नि घीसा, गुटरी,दिलसुख पुत्रान देविया, चुम्मन पुत्र मोती, चितरू पुत्र बेगराज, जयराम, बक्सी, रामसहाय पुत्रान गोपाल, नंदराम पुत्र गुटी, मांग्या पुत्र भोलू जातियान चमारान निवासी चामारोदा सा0 देह गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत् 2047 से ताहाल बेचानकर्ता गैरखातेदारान पट्टेदारान का नाम अंकन है।

वादी लालचन्द पुत्र रतीराम जाति चमार निवासी हुसैनपुर तहसील खैरथल ने प्रतिवादीगण 1, 2 से आराजी मे से उनका हिस्सा वाके ग्राम हुसैनपुर तह0 किशनगढबास

29/4/23

ा इकरारनामा दिनांक 11.01.2011 को अपने नाम करवा लिया। प्रतिवादीगण वर्तमान एवं ाबिक रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादीगण के द्वारा गैरखातेदारी आराजी ा बेचान वादीया को जर्ये इकरारनामा दिनांक 11.01.2011 के द्वारा किया है। तहसीलदार े प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर वादिया की कब्जा काश्त है। तथा प्रतिवादीगण द्वारा दावे को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब भी पेश किया। चूंकि प्रकरण/वाद अवैधहस्तांतरण का होने के कारण आवंटन सलाहाकार समिति के समक्ष रखने पर आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा भी वादीया का वाद स्वीकार किया है। तहसीलदार मौका रिपोर्ट कब्जा काश्त, प्रतिवादीगण का इकबाल जवाब एवं आवंटन सलाहाकार समिति की अभिशंषा से वादीया का वाद बाखूबी सिद्ध होता है। इसलिए वाद राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क शास्ति जमा कोष कराकर हकूक खातेदारी प्रदत्त किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है।

अतः आदेश है किः–

वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0न0 2024 रकबा 0.32हे0, 2025 रकबा 0.29हे0, 2026 रकबा 0.28हे0, 2027 रकबा 0.27हे0, 2028 रकबा 0.16हे0, 2029 रकबा 0.30हे0, 2030 रकबा 0.27हे0, 2031 रकबा 0.18हे0, 2032 रकबा 0.23हे0, 2033 रकबा 0.22हे0 किता 10 रकबा 2.5200हे0 अर्थात् 9 बीघा 19 बिस्वा स्थित ग्राम हुसैनपुर खैरथल मे वादी संख्या 1 लालचन्द पुत्र रतीराम जाति चमार का 1/2 भाग व वादी संख्या 2,3 अमरसिंह, मनोहरलाल पुत्रान खेमचन्द जाति चमार का 1/4,1/4 भाग अर्थात निस्फ भाग के काबिज काश्तकारान खरीदारान है। तथा इसी कदर खसरा नं0 2034 रकबा 1.05हे0, 2036 रकबा 0.19हे0, 2037 रकबा 1.57हे0, 2038 रकबा 0.34हे0 किता 4 रकबा 3.1500हे0 अर्थात् 12 बीघा 9 बिस्वा मे से 1/4 भाग का वादी संख्या 4 कैलाशचन्द पुत्र छोटेलाल जाति चमार तथा 3/4 भाग वादी संख्या 5 श्यामलाल पुत्र चन्दगीराम जाति मेघवाल काबिज काश्तकार खरीदारान है। जो आराजीयात वाके ग्राम हुसैनपुर तहसील खैरथल का काबिज काश्त खातेदार घोषित किया जाता है। वादी आराजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क व शास्ति जमा कराने पर हकूक खातेदारी प्रदत्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किशनलाल, किशोरीलाल,बनवारीलाल, महेन्द्रकुमार, रमेशचन्द, हरीराम पुत्रान घीसा, खेमचन्द,रतीराम पुत्रान डालू, चमेलीदेवी, राजवती पुत्रीयान घीसा, सोमोतीदेवी पत्नि घीसा, गुटरी,दिलसुख पुत्रान देविया, चुम्मन पुत्र मोती, चितरू पुत्र बेगराज, जयराम, बक्सी, रामसहाय पुत्रान गोपाल, नंदराम पुत्र गुटी, मांग्या पुत्र भोलू जातियान चमारान गैरखातेदारान का नाम कलमजन किया जाकर वादिया को मुताबिक सनद खातेदार

29/5/23

Scanned with OKEN Scanner

र्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल हो।
पत्रवली फैसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो । सुनाया गया।

27/5/23

(श्री गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

Scanned with OKEN Scanner